संख्या 417 / 66–2004

प्रेषक,

वी0के0मित्तल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

1– प्रमुख सचिव / सचिव,
लोक निर्माण, पंचायती राज, लधु सिचांई, ग्राम्य विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2004

विषय – समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत का वर्ष 2004–05 कार्यान्वयन।

महोदय,

मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गॉवों का सर्वागीण एवं बहुआयामी विकास के उद्देश्य से समग्र ग्राम्य विकास योजना शासनादेश संख्या 1996 / 66–2003 दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 द्वारा शुरू की गयी थी, तत्पश्चात् समय–समय पर इस विषय में निर्देश जारी किये गये जिसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पार्श्वांकित शासनादेश है।

1–शासनादेश संख्या 1451 / अ0ग्रा0वि0वि0 / 2003 दि0 24 दिसम्बर, 2003
2–शासनादेश संख्या 50 / 66–2004 दि0 8 जनवरी, 2004
3–शासनादेश संख्या 48 / 66–2004 दि0 9 जनवरी, 2004
4–शासनादेश संख्या 177 / 66–2004 दि0 24 जनवरी, 2004

2– वित्तीय वर्ष 2004–05 का बजट पारित हो चुका है, वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी हो रही है इसलिये इस वर्ष किसी प्रकार से वित्तीय स्वीकृतियों की बाधा का प्रश्न नहीं उठ सकता। इस वित्तीय वर्ष के लिये चयनित गांवों की कार्ययोजना बिलम्बतम 20 जून, 2004 तक पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार आप तैयार करके कार्ययोजना की एक प्रति उपलब्ध कराते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करें और यह सुनिश्चित करें कि चयनित गांवों का शत–प्रतिशत सतृप्तीकरण हो।

3– गत वित्तीय वर्ष के चयनित गांवों में जिनका संतृप्तीकरण न किया गया हो उनक संतृप्तीकरण प्रथम वरीयता पर किया जाय।

अगले पेज हेतु क्लिक करें

4– सीमा पर शहीद सैनिकों के गांवों को चयन के लिये किसी संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है इसलिये ऐसे गांवों के चयन का दायित्व जिलाधिकारी पर है। सीमा पर शहीद सैनिकों के गांवों का चयन भावनात्मक होने के साथ–साथ राष्ट्रप्रेम से सीधा जुडा हुआ है और इसलिये ऐसे कोई गांव किसी भी दशा में न छूटनें पाए यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व है।

भवदीय,

(वी0के0मित्तल)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या 417 (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(बी0पी0मिश्र)
सचिव,

Top